मूर्ति मंदिर महादेवजी **बनाम** घीसा वगै०

	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	2010/00024 GA5 से 7 श्री लक्ष्मणनाथ योगी एड०अपी० श्री मोतिराम बेनीवाल । रे 4,8,9	
29.5.19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या से04, 8,9 उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा द्वारा मूल वाद संख्या 72/2009 बउनवानी मंदिर मूर्ति महादेव बनाम घीसा को दिनांक 28.04.2016 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया है जिसकी प्रमाणित प्रति पत्र के साथ सलंगन की जा रही है और वादीगण ने अभी तक वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लेने हेतु कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। चुँकि यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकरी अधिनियम की है, जो सारहीन हो चुकी है। इसलिए खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद मनन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मूल वाद को दिनांक 28.04.2016 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया हैं। इसलिए प्रस्तुत अपील सारहीन हो चुकी है। **अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील अधिकारी अजमेर	पत्रावली, MC कार्यवाई जरिये 1884/26.6.19 द्वारा लौटाया गया।